

अनुबंध पत्र

यह अनुबंध पत्र आज दिनांकको श्री

.....पुत्र/पुत्री.....आयु.....नि०.....

.....प्रथम पक्ष तथा पशुधन विकास मिशन(न्यास),बरेली ,उ०प्र० द्वारा निदेशक,मानव संसाधन या उनके द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी द्वारा उनकी ओर से द्वितीय पक्ष के मध्य किया गया है।

चूंकि पशुधन विकास मिशन (न्यास) द्वारा प्रथम पक्ष कोपद पर औपबंधिक /अनुबंध पर नियुक्ति पूर्व निशुल्क प्रशिक्षण एवं नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाया गया है और प्रथम पक्ष न्यास की सेवा उन शर्तों एवं प्रतिबंधों पर करने को सहमत हुआ है, जिन्हे एतद् द्वारा अंतर्विष्ट किया गया है।

अतएव यह अनुबंध पत्र इसका साक्षी है और उभय पक्ष निम्नलिखित प्रकार से सहमत है।

1- प्रथम पक्ष कार्यभार प्राप्त करने के उपरान्त अपने कार्यकाल में.....रु० प्रतिमाह मानदेय (समस्त भत्तों सहित) द्वितीय पक्ष से प्राप्त करता रहेगा , एवं समय -समय पर प्रथम पक्ष के कार्यनिष्पादन के आंकलन के आधार पर मानदेय वृद्धि एवं प्रोत्साहन राशि भुगतान के साथ ही द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष को पदोन्नत भी किया जाता रहेगा ।

2-प्रथम पक्ष स्वयं को न्यास के आदेशों के तथा उनके अधिकारियों प्राधिकारियों के अधीन प्रस्तुत करेगा ,जिनके अधीन न्यास द्वारा उसें कार्य दायित्व समय-समय पर प्रदान किया जाता है तथा प्रथमतः 11 माह की औपबंधिक नियुक्ति पर रहेगा जो 21 जनवरी 2021 से प्रारम्भ होने वाले निशुल्क प्रशिक्षण के उपरान्त आयोजित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को कौशल विकास मिशन द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमाण पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के कार्यदिवस की तिथि से पूर्व प्रारम्भ होगी और इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन होगी जो कि प्रथम पक्ष के आग्रह पर द्वितीय पक्ष द्वारा किये गए वार्षिक कार्य आंकलन के आधार पर 62 वर्ष की आयु तक विस्तारित की जा सकती है।

3-प्रथम पक्ष न्यास द्वारा अनुबंधित एवं निर्दिष्ट केन्द्र पर संचालित नियुक्ति पूर्व निशुल्क प्रशिक्षण की अवधि में 90 प्रतिशत उपस्थित रहकर गैर आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करेगा एवं प्रशिक्षण के उपरान्त कौशल विकास मिशन द्वारा निर्धारित आनलाइन परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए यथानिर्धारित परीक्षा में सहभागिता करेगा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त नियुक्ति अवधि में न्यास द्वारा निर्धारित पशु बाजार /पशु बीमा/कृत्रिम गर्भाधान/उत्पाद विक्रय एवं अन्यान्य कार्य निष्पादन का लक्ष्य प्रथम पक्ष यथा समय पूर्ण करता रहेगा।

4-प्रथम पक्ष की नियुक्ति स्थल / जनपद न्यास के निर्णय की विषय वस्तु होगी एवं नियुक्ति अवधि में प्रत्येक वर्ष के समाप्ति पर उसके द्वारा किए गए कार्यों व आचरण की समीक्षा न्यास द्वारा की जाएगी और कार्य एवं आचरण में कोई तथ्य न्यास के हित के प्रतिकूल न पाए जाने पर उसके मानदेय /प्रोत्साहन पुरस्कार को समय-समय पर विस्तारित किया जाता रहेगा ।

5-प्रथम पक्ष के द्वारा पूर्व में निर्धारित सूचना के अनुसार 15 दिसंबर 2020 तक स्वयं द्वारा क्रय की हुयी व्यक्तिगत टूलकिट एवं बिल वाउचर की फोटो न्यास की मेल आई डी पर प्रेषित कर दी गयी थी जिसकी प्रतिलिपि अनुबंध पत्र के साथ संलग्न है नियुक्ति से पूर्व एवं कार्यभार प्राप्त करते समय प्रथम पक्ष व्यक्तिगत टूलकिट के रख रखाव का स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

6-द्वितीय पक्ष द्वारा पी0 एफ0 एवं बीमा प्रथम पक्ष को देय होगा ।

7-प्रथम पक्ष की सेवा निम्न प्रकार से भी समाप्त की जा सकती है-

(1)-नियुक्ति की ग्यारह माह की अवधि समाप्त होने पर बिना किसी नोटिस के ।

(2)-किसी भी समय न्यास द्वारा उसको एक कैलेंडर माह सूचना दिए जाने पर यदि प्रथम पक्ष इस अनुबंध की अवधि में अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों को दक्षता पूर्वक पालन करने में अनुपयुक्त सिद्ध होता है।

(3)-न्यास द्वारा बिना सूचना के यदि न्यास चिकित्सा साक्ष्य पर इस बात से संतुष्ट हो कि प्रथम पक्ष के अपने खराब स्वास्थ्य /अंग भंग/मानसिक दिवालियापन के कारण कार्यक्षेत्र में अपने कर्तव्यों का पालन करने के अयोग्य बने रहने की संभावना पर्याप्त समय तक बनी रहेगी ,प्रतिबंध सदैव यह है कि प्रथम पक्ष को सदैव अनुपयुक्त बने रहने के सम्बन्ध में न्यास का निर्णय प्रथम पक्ष के लिए निर्णायक तथा बाध्यकारी रहेगा ।

(4)-न्यास द्वारा अथवा उचित अधिकार रखने वाले अधिकारियों के द्वारा दी गई सूचना को यदि प्रथम पक्ष अवज्ञा असंयम अथवा अन्य प्रकार के दुराचरण का दोषी हो अथवा इस अनुबंधन के किसी उपबंध को भंग करने या कार्यदायित्व से संबन्धित नियमों का पालन न करने का दोषी हो जिससे कि वह संबन्धित हो ।

हस्ताक्षर

(प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर

(द्वितीय पक्ष)